भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 1972/अग्रहायण 13, 1894
No. 271] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 1972/AGRAHAYANA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

SECRETARIAT

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 4th December 1972

No. 12(2)TAR/72.—The Tariff Commission undertook an enquiry under Sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951) on the continuance of protection to the Dye-Intermediates Industry beyond 31st December, 1972. It submitted an Interim Report in 1971 and the recommendations made in it were accepted for a period of one year *vide* Government Resolution No. 14(5)TAR 71, dated 10th December, 1971 subject to the further recommendation of the Tariff Commission in its Final report.

The Final Report of the Tariff Commission on the Dye-Intermediate Industry was submitted to Government in July this Year and the recommendations made in it as subsequently clarified by the Commission in respect of some are summarised in the attached Table.

TABLE

Sl. No.	Recommendation of the Tariff Commission	Decision of the Government
1	2	3
I. CONTINUANCE OF TARIFF PROTECTION		
(a) *Continuance of protection at the existing rates of protective duty*:		
1	The existing protective rates of duty *viz.* 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 per cent *ad valorem* (Preferential) may be continued up to 31st December, 1974 on the following Dye-intermediates: 1. Beta amino anthraquinone (2 amino anthraquinone) ICT ITEM 28(35)	Accepted. Necessary legislation will be undertaken in due cource.

1	2	3
		ICT ITEM
	2. Anthraquinone, 3. Aceto-acet anilide, 4. Aceto-acet-ortho toluidide, 5. Tobias acid (2-naphthylamine-1-sulphonic acid), 6. Aceto-acet-ortho-chloro-anilide, 7. C Acid (2-chloro-5-toluidine-4-sulphonic acid or 6-chloro-meta-toluidine-4-sulphonic acid),	28(39)
	8. Meta-nitro aniline, 9. Meta-nitro-para-toluidine, 10. Phenyl-J-acid (2-phenylamino-5-naphthol-7-sulphonic acid or 2-phenylamino-5-hydroxy-naphthalene-7-sulphonic acid), 11. 1, 5-diamino-anthraquinone, 12. Schaeffer acid (2-naphthol-6-sulphonic acid), 13. Meta-chloro cniline, 14. 2, 5-Dichloro aniline, 15. 4-chloro-2-anisidine, 16. 4-chloro-2-nitro anisole, 17. Ortho nitro aniline, 18. Para toluidine meta sulphonic acid, 19. Ortho-amino azo-toluylene (2, 3)-dimethyl-4-amino azobenzene or 4-ortho-toluylazo-ortho-toluidine), 20. R. Salt (2-naphthol-3, 6-disulphonic acid, sodiumsalt), 21. Benzoyl-J-acid (2-Benzoyl amino 5-naphthol-7-sulphonic acid), 22. Para-nitrosophenol (1-hydroxy-4-nitro benzene), 23. Dinitro stilbene disulphonic acid (4,4/-dinitro stilbene-2,2'-disulphonic acid), 24. Beta naphthalene thioglycolic acid (2-naphthyl thioglycolic acid), 25. 4-chloro-ortho-toluidine, 26. 1-amino-6-nitro-2-naphthol-4-sulphonic acid, 27. Para-nitro toluene sulphonic acid or Para-nitro toluene-ortho-sulphonic acid (toluene-4-nitro-2-sulphonic acid or benzene-1-methyl-4-nitro-2-sulphonic acid).	28(40)
(2) The existing protective rates of duty of 100 per cent *ad valorem* (Standard) and 90 per cent *ad valorem* (Preferential) may be continued up to 31st December, 1974 on the following intermediates :—		Accepted. Necessary legislation will be undertaken in due course.
	1. Phenyl Peri Acid (Phenylamino naphthalene-8-sulphonic acid), 2. Ortho Toluidine, 3. Diethyl Meta Amino Phenol (Meta-diethylamino phenol), 4. Diamino Stilbene Disulphonic acid(4,4'-diamino stilbene-2,2'-disulphonic acid).	ICT ITEM 28(38)
(b) *Continuance of protection at enhanced rates of protective duty*		
(3) The protective rates of duty of 100 per cent *ad valorem* (Standard) and 90 per cent *ad valorem* (Preferential) may be levied on the following two intermediates upto 31st December, 1974 as against the existing protective duty of 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 per cent *ad valorem* (Preferential) :—		Accepted. Recommended rates of duty are being brought into force with immediate effect by Notification under Section 4(1) of the Indian Tariff Act, 1934.
	1. Metanilic acid, 2. Quinizarine (1, 4-dihydroxy-anthraquinone).	Necessary legislation will be undertaken in due course.

1	2	3
	(c) *Continuance of protection at rates below the present level of protective duty.*	
4	Protective rates of duty of 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 per cent *ad valorem* (Preferential) may be levied on the following intermediates upto 31st December, 1974 as against the existing protective duty of 100 per cent *ad valorem* (Standard) and 90 per cent *ad valorem* (Preferential) :—	Accepted. Recommended rates of duty are being brought into force with immediate effect by Notification under Section 4(1) of the Indian Tariff Act, 1934. Necessary legislation will be undertaken in due course.
	1. J-Acid (1-naphthylamine-5-hydroxy-7-sulphonic acid), 2. 4-chloro-2-Nitro Aniline, 3. Para anisidine, 4. Para toludine.	ICT Item 28(38)
	II. FRESH ITEMS OF DYE-INTERMEDIATES BROUGHT UNDER THE SCHEME OF PROTECTION	
5	The existing statutory revenue duty of 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 per cent *ad valorem* (Preferential) on the following dye-intermediates may be converted into equivalent protective duty, which may be kept in force upto 31st December, 1974 :—	Accepted. Protective rates of duty are being brought into force with immediate effect by Notification under Section 3A of the Indian Tariff Act, 1934.
	1. Chicago acid, 2. G-Salt, 3. Gamma acid, 4. H. Acid, 5. J-Acid urea, 6. Meta-toluylene-diamine, 7. Meta-Phenylene-diamine, 8. Nevile Winther acid, 9. Para Nitro aniline, 10. Rhoduline acid, 11. Sulphanilic acid, 12. Sodium naphthionate/naphthionic acid, 13. 2,5-dichloro nitro benzene, 14. Dimethyl sulphate, 15. Beta- naphthol, 16. Aceto acetic ester (Ethyl/methyl), 17. Trichloro Benzene, 18. Benzidine dihydrochlorida/Benzidine Sulphate, 19. Dimathylaniline.	Aceto acetic ester (methyl/ethyl), Trichloro benzene, Benzidine sulphate and Dimethylaniline have been withdrawn simultaneously from the list of dye-intermediates whose import is being allowed at concessional rates of Customs duty. Necessary legislation will be undertaken in due course.
	III. ITEMS OF DYE- INTERMEDIATES IN RESPECT OF WHICH PROTECTION ISWITHDRAWN.	
6	Protection granted to the following Dye-intermediates need not be continued beyond 31st December, 1972 and the protective rates or duty on these may be converted into revenue rates at 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 percent *ad valorem* Preferential) :—	Accepted. In the case of Dye-intermediate viz. Ortho anisidine classified under ICT Item 28(38), notification under Section 4(1) of the Indian Tariff Act, 1934, reducing the existing protective duty of 100 % *ad valorem* (Standard) and 90 % *ad valorem* (Preferential) to 60% *ad valorem* (Standard) and 50% *ad valorem* (Preferential) has been published separately. Necessary legislation will be undertaken in due course.
	1. 1-amino anthraquinone, } ICT 2. Ortho-chloro aniline, } Item 3. Para-chloro aniline, } 28(40) 4. 5-Para-nitro anisole, 5-chloro-ortho-toluidine, 6. 1, 4-Diamino anthraquinone, 7. PeriAcid, 8. 2, 5-Dimethyl-4chlorophenyl thioglycolic acid, 9. Amino-Iso-G Acid 10. Ortho anisidine [ICT TVEM 28(38)]	

1	2	3
	Since in the fore-seeable future quantitative control over their imports is likely to remain they should continue to be under the supervision of the Tariff Commission within the meaning of Section 11(a) of the Tariff Commission Act, 1951, so that a continuous watch be maintained on the progress and development of these intermediates until the 31st December, 1974.	
	11. Benzanthrone ICT item 28(36)	
	12. BON Acid ICT Item 28(37)	
	13. 2, 6-diamino anthraquinone, } ICT 14. Ortho-nitro anisole, } Item 15. 1-Chloro anthraquinone, } 28(40) 16. Anthraquinone-1-sulphonic acid sodium salt	
	IV. ITEMS OF DYE-INTERMEDIATES IN RESPECT OF WHICH DUTY IS TO BE REDUCED AS A MEASURE OF ASSISTANCE TO THE INDUSTRY	
7	The following Dye-intermediates may continue to be shown some duty concession till 31st December, 1974. The concessional rates of duty may be fixed at 40 per cent *ad valorem* (Standard) and 30 per cent *ad valorem* (Preferential): 1. Alpha Naphthylamine, 2. 2-Chloro-4-nitro aniline, 3. 3, 3-Dichloro benzidine, 4. N.N. Diethylaniline, 5. 3, 3'-Dichloro Benzidine dihydrochloride, 6. Meta-dinitro benzene, 7. Meta nitro chloro benzene, ¶ 8. Mono-chloro-para-xylene ((1-chloro-2,5-dimethyl benzene or 2-chloro-1, 4- dimethyl benzene), 9. Ortho-nitro chloro benzene, 10. Ortho nitro toluene, 11. Ortho Tolidine, 12. Para nitro toluene, 13. Para toluidine-ortho-sulphonic acid [Para toluidine (1-methyl 4-amino)-8 sulphonic acid]], 14. Para nitro chloro benzene.	Accepted.
8	With regard to "Penultimate dye-intermediates' noted in the Customs Notification No. 148/F. No. 17-4-69-Cus. I., dated 15-11-1969, attention is invtied to the following recommendations :	Accepted.
	(i) specific as well as other intermediates whose predominent use (say, 85 to 90 percent) isin the dyestuff industry, should be granted unqualified duty concession and thus freed from the operation of bond restrictions ;	Since no list of the types of intermediates referred to in (i) and (iii) can be established, the present conditional nature of exemption may continue. Importers should file continuing bonds for specific sums and for specific periods. The Ministry of Petroleum and Chemicals will settle the procedure relating to import of the relevant intermediates.
	(ii) *per contra* those intermediates whose predominent use (say 85 to 90 per cent) is in Industries other than dyestuff, should be removed from the duty concession list; and	
	(iii) those intermedates which do not belong to either of the above two groups but whose incidence of cost on the cost of production of finished dyestuff is significant, may continue to enjoy the duty concession subject to the execution of bond by the importer.	

1	2	3
	Effective steps may be taken for speedy implementation of these recommendations.	
	(iv) with regard to the bond requirements by the Customs authorities, where normal duty is paid, the question of bond does not arise. Where the dye-intermediates are required for the manufacture of dyestuffs, then the end-use certificate from the Directorate General of Technical Development (DGTD) for the large scale sector and the Director of Industries for the small scale units would have to be furnished. In the remaining cases instead of having individual bonds for each import it is felt that it would be advisable to have a continuous bond of a certain sum for a specific period. It is felt that the Standing Committee may also look into this matter.	
9	The partial exemption from excise duty granted to benzene, ethyl benzene, benzol toluene, toluol and light solvent naptha (mixture of benzene and toluene) may be extended to ortho-xylene also.	The inclusion of ortho-xylene in the list of dey-intermediates eligible for partial exemption of excise duty has been recommended on the ground that the concession will help in the export of dye-intermediates based on ortho-xylene. Since on export of such dye-intermediates adequate compensation of duty element is available through rebate/drawback, the recommendation is *not* accepted.
10	Various difficulties encountered by the producers in promoting research and development were ventilated during the public inquiry. It was stated that while there were adequate talent and facilities available for undertaking research activities, sufficient incentives were not forthcoming to encourage rapid progress in this field. As an example it was cited that according to the existing legislation, amounts set apart for incurring expenditure on research had to be spent in the very year, if Incometax relief was to be obtained thereon. The research process being a continuous one it contended that it was not practical to spend the entire amount in the very year so as to get tax relief. It was averred that some flexibility in this regard was necessary so that the manufacturers could claim tax relief for expenses incurred over a number of years. It was added that the individual units could create their own Research and Development Fund and in the years where substantial profits were made, certain amount could be set apart to be put in the fund which should be exempted from taxes. There appears to be some force in this contention and it is brought to the notice of Government.	Noted.
	V. OTHER ANCILLARY RECOMMENDATIONS	
11	If at a later stage manufacturers find that protective rates recommended for certain uncosted intermediates are inadequate to cover the price disadvantage they may apply to the Commission with requisite data for suitable revision of the quantum of protection.	Noted.
12	Protection is not necessary in the case of (i) ace to acet meta xylidide and (ii) aceto acet ortho anisidide which should continue to bear the existing revenue rates of duty at 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 per cent *ad valorem* (Preferential).	Accepted.

1	2	3
13	The concessional duty on (i) aceto acetic ester, (ii) trichloro benzene, (iii) dimethyl-aniline and (iv) benzidine sulphate may be withdrawn.	Accepted. Duty concession has been withdrawn. Aceto acetiester, trichlorobenzene, dimethyl-aniline and benzidine sulphate have been included in the list of new items of dye-intermediates to which protection has been extended.
14	There is no justification for granting duty cocession on (i) Amino-azo benzene hydrochloride, (ii) Laurant acid and (iii) Para-amino-acetanilide and the existing revenue rates of duty at 60 per cent *ad valorem* (Standard) and 50 per cent *ad valorem* (Preferential) may be continued on these intermediates.	Accepted.
15	Concessional rate of duty to the following 29 intermediates asked for by certain producers is not favoured. Revenue duty at the existing levels may be continued on these items. 1. 3-Amino anisic acid anilide, (3-Amino-*para*-anisanilide), 2. 2,4-Dinitrochlorobenzene, 3. 2,5-Dichloronitrobenzene, 4. Ethyl benzylaniline, 5. 4-Chloro-*ortho*-nitro to'uene (4-Ch'oro-2-nitrotoluene), 6. Mich'er ketone [4,4/- bis (dimethy-'amino)-benzephenone], 7. *para*-Ch'orophenol, 8. Phenyl-alphanaphthylamine, 9. Phenyl hydrazine, 10. Tetramethyl-thiourea, 11. 4,4/-Di(6-methylbenzthiazyl) azobenzene, 12. Phenylmethyl-lpyrazolone (3-Methyl-l-phenyl-5-pyrazolone), 13. Aniline, 14. *Ortho*-Dichlorobenzene, 15. *para*-Oresidine (5-methyl-orthoanisidine), 16. 2-Acetylamine-3-chloroanthraquinone, 17. 2-Amino-3-hydroxyanthraquinone, 18. Anthraflavic acid/Calcdon salt Af 20%Paste, 19. 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 20. 1,1-Dinaphthyl-8, 8-dicarboxylic aicid, 21. *meta*-Toluidine, 22. *meta*-Xylidine, 23. Molybdic acid, 24. *ortho*-Sulphanilic acid, 25. 1,9-Pyrazolanthrone, 26. 2,4,5-Trichloroaniline, 27. Dehydrothio-*para*-toluidine-sulphonic acid, 28. 2,5-Xylidine, 29. 2-Amino-3, 5-Xylene sulphonic acid.	Accepted.
16	Imports of aceto-acetic ester should be so regulated as to meet only the excess requirements over indigenous production. At the same time an all-out effort will have to be made by the producer to bring down his cost of production by effecting all possible economies in the operation of the plant.	Will be implemented to the axtent possible under the Import Policy in force from time to time. Attention of the producer of aceto-acetic ester is invited to the latter part of the recommendation.
17	A watch ay be kept on imports of meta-nitro-para toluidine, if any.	Accepted.

1	2	3
18	The existing Import Trade Control Policy of banning imports of seven intermediates listed below needs to be continued during the period of protection i.e., upto 31st December, 1974 so that full utilisation of domestic capacity is not hampered: 1. Aceto acet anilide, 2. Aceto acet orthochloreoanilide, 3. Aceto acet orthotoluidide, 4. 4, 4/-dinitro stilbene-2, 2/-disulphonic acid, 5. para nitro toluene ortho-sulphonic acid, 6. para toludidine, 7. para tolui line-meta-sulphonic acid.	Will be implemented to the extent possible under the Import Policy in force from time to time.
19	The existing Import Trade Control Policy of restricting imports of twelve intermediates listed below needs to be continued during the period of protectioi.e. upto 31st December, 1974 so that full utilisation of domestic capacity is not hampered: 1. 1-amino-6-nitro-2-naphthol-4-sulphonic acid, 2. Benzoyl-J-acid, 3. 4-chloro-2-nitro aniline, 4. 1-5-diamino anthaquinone, 5. 2, 5-dichloro nitrobenzene, 6. 2-naphthyl-thioglycolic acid, 7. Phenyl-peri-acid, 8. Para anisidine, 9. Phenyl-J-acid, 10. R-Salt. 11. Schaeffer acid, 12. Tobias acid.	Will be implemented to the extent possible under the Import Policy in force from time to time.
20	Imports of (i) dimethyl suphate, (ii) 4, 4/ dimino stilbene-2,2/ disulphonic acid and (iii) ortho-toluidine should be so regulated that full utilisation of domestic capacity is not hampered.	Will be implemented to the extent possible under the Import Policy in force from time to time.
21	Imports of dye-intermediates mentioned below should continue to be effectively regulated: 1. para-nitrosophenol, 2. 4-chloro-ortho-toluidine.	Will be implemented to the extent possible under th-Import Policy in force froe time to time.
22	It would be desirable to permit imoports of J-acid to effectively fill the gap between indigenous production and the total demand, particularly to ensure that the requirements of the small scale sector are adequately met at reasonable price.	Will be implemented to the extent possible under the Import Policy in force from time to time.
23	The problem of imports and other allied matters requires a balanced overall view to be taken. It needs to be ensured that all possible assistance is given to the industry not only to enable it to use the installed capacities of various items to the fullest extent possible but also wherever necessary requisite expansion should also be permitted. If any restrictions have to be put on the import of items already in production either by completely banning or allowing imports on restricted basis, the matter needs to be considered rationally from the view point of the industry as a whole having regard to the overall national interest.	Will be implemented to the extent possible.
24	Import Control Policy for the chemicals imported by the Dyestuff Industry should be rationalised in the light of the suggestions made by Federation of Associations of Small Industries of India (F.A.S.I.).	Noted.

1	2	3
25	In case of imports of inermediates, the production of which was to be indigenously started there seems at present some lack of proper co-ordination between the Industry and the Chief Controller of Imports & Exports (C.C.I.&E). The industry should also regularly kee the C.C.I. & E. informed of the latest developments in its manufacturing programmes so as to enable the latter to take these developments into consideration when framing the import control policy.	Attention of the industry is drawn to the recommendation.
26	For keeping a watch on the healthy growth and development of the industry, it is necessary to know the flow of imports of each of the intermediates whose annual requirements are likely to be significant, say in excess of 10 tonnes. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, should maintain separate statistics of imports of such intermediates.	Noted. Will be implemented to the extent possible.
27	It should be examined whether in the case of sensitive items, the validity period of licence could not be shortened so that a more frequent review of the position of imports vis-a-vis availability could be under-taken, say, at an interval of every six months.	Noted.
28	The Chief Controller of Imports and Exports after taking into account the foreign exchange resources position and other relevant factors should give sympathetic consideration to the suggestion of allowing at least 20% of the Rupee Currency Area licences to be converted into Hard Currency Area licences when a producer could prove that he was using a particular item which was not available in the Rupee Currency Area.	Noted.
29	What needs to be ensured is not merely sufficient production of a particular Intermediate but also its requisite quality and reasonableness of its price. It is, therefore, imperative that before licensing the details of the costs furnished by the prospective manufacturers are carefully scrutinised by the concerned authorities.	Noted.
30	Chief Controller of Imports and Exports may look into the suggestions made by some of the units of the industry for (i) release of mild steel to such units who wish to fabricate their own plants and equipment and (ii) allowing imports of spare parts of foreign makes of machinery installed by the producers.	Noted. Will be implemented to the extent possible.
31	Development Commissioner for Small Scale Industries may be requested to take effective steps for eliminating toxic risks in the use of dangerous chemical. ensuring safe working conditions.	Noted.
32	In view of the large gap between the demand for and the available upply of acetic ester important intermediate, the existing capacity of the intermediate needs to be augmented so that ultimately the domestic production is capable of meeting fully the indigenous requirements.	Noted. The attention of the industry is drawn to the recommendation.
33	It is necessary to have up-to-date accurate data in regard to capacity, production, sales, consumption, and various other aspects of the industry, both from large and small scale sectors, particularly the latter. The producers associations should arrange for collection and compilation of relevant data and for forwarding it periodically to the DC(SSI) and to D.G.T.D.	Attention of the industry is drawn to the recommendation.

1	2	3
34	In its own interests, as a check on the qality of supplies the State Trading Corporation of India should consider introducing some sample testing on its own on receipts of goods even though it has large scale operations and receives necessary certificates of analysis from the foreign manufacturers.	Attention of State Trading Corporation is drawn to the recommendation.
35	The State Trading Corporation's suggestion that in the case of imports through it the customers should place firm orders and pay in advance 5 to 10 per cent of the value of the goods as deposit. The State Trading Corporation in turn would be willing to pay interest threon. This proposal is commended for consideration of Government.	Noted.
36	In the interest of this growing industry the Indian Standards Institution should finalise early standard specifications with due regard to the purity percentage for as many of the important dye-intermediates as possible.	Attention of Indian Standards Institution is drawn to the recommendation.
36A	Where there is only a single manufacturer of a certain item or at best two, who control its entire production, they should not be allowed to create artificial shortfall in supply of the relevant product with a view to jacking up prices to the detriment of the end users. What is needed is judicious planning so that; if necessary, expanded capacities could come up to cater to the needs both of the internal demands as well as for the external markets to earn valuable foreign exchange and thus increase the overall production.	Noted.
37	The various proposals put forth by the Export Promotion Committee (EPC) and Dyestuff Manufacturers Association of India (DMAI) for promotion of export notic of Government for such action as deemed fit. of Dyes and Dye-intermediates are brought to the	Noted. Will be implemented to the extent possible.
38	The following suggestions made by the producers regarding the working of the Industry are brought to the noice of Government for such action as it may consider necessary : (i) restrictions placed on the manufacture of allied products like pharmaceuticals and plastics, when the plants are idle, should be removed ; (ii) permission to import spare parts should be based on a fixed percentage of the capital cost rather than on the basis of a fixed amount irrespective of the size of the units or its expansion ; (iii) if any patents are involved, the owners of the patents must be forced to give manufacturing rights by payment of nominal royalty ; (iv) excise, sales-tax, octroi and such other imposts need to be scaled down or removed to safeguard the interests of the consumers ; and (v) credit facilities at present given to consumers of dyes by the large scale units who produce both dyes and dye-intermediates, should also be extended to the manufacturers of dye-intermediates in the small scale sector.	Will be implemented to the extent possible.

1	2	3
39	In order to help the industry in promoting its Research and Development activities, the Development Council for Organical Chemical Industries (Dyes Panel) should be entrusted with the workofcoordinating the research efforts of various units. The National Chemical Laboratory, Poona, should also be associa- in this work. Government may also consider the ted feasibility of buying technology for some of the new items and making it available to these who wish to use it.	
40	For furthering Research and Development activities in the Industry and fuller utilisation of the facilities provided at the National Chemicals Laboratory (N.C.L.), the N.C.L. should bes ides undertaking sponsored research projects as at presentk agree to allow the chemists and qualified technoligists belonging to the small scale and medium size companies to utilise, upon payment of reasonable charges, the facilities available in it (N.C.L., Poona) to carry out investigations and tests.	Attention of National Chemical Laboratory as also the industry is drawn to the recommendation.
41	While it may not be feasible to make any water-tight distinction as between Dye-Intermediates to be manufactured by the large and small scale units it would be worthwhile to explore ways and means for achieving a programme of rationalised manufacture, keeping in view efficiency and viability oritcria amongst others so that healthy and rapid progress of the industry could be smoothly achieved. The recently formed Standding Committee for Dyestuff Industry, which has on it representatives not only from the Government but also from both the sectors of the Industry, could play an effective role in this direction.	Noted.
42	In order to avoid unhealthy competition and overlapping of production between the large scale and small scale units of the industry some national division between the large scale and small scale sector is necessary. For a proper growth of the industry as a whole they have to be complementary to each other rather than competitive. While items of manufacture which require large scale production, and also those involving complex processing could be more economically and efficiently produced by the units in the large scale sector, who posses the necessary facilities, including those for research and development, the manufacture of sophisticated items required in small quantities for specialised uses as well as those involving simple process could be preferably left to the small-scale sector who have the advantage of being labour-intensive.	Attention of the industry is drawn to the recommendation.
43	The usage of raw materials and other inputs in a number of dye-intermediates even when they are produced with foreign technical collaboration is found to be at a comparatively higher level than would be warrnted by the Internationally recognised standards. This higher consumption of raw materials lowers the efficiency of production the reby raising the cost of finished products. This is a serious matter and should be looked into by competent technical experts.	Noted. Attention of Indian Standards Institution is drawn to the recommendation.
44	The products of phthalic anhydride should explore all possible ways and means to effect economies in the process of its manufacture so as to bring down its price as far as possible to the level of the landed cost of the imported product.	Attention of producers of phthalic anhydride is drawn to the recommendation.

1	2	3
45	It is high time that the industry seriously considers some sort of voluntary discipline to ensure that the selling prices of its products to the consumers are fair and reasonable, The recognised Associations of the manufacturers can, and should, also play a more effective part in ensuring such price discipline, In this context, while inviting reference to Commission's recommendation No. 4 in Government Resolution No. 14(5)-Tar 69, dated 25-2-1971 on the 1970 Review Report, it is proposed to select a few dye-intermediates and examine in depth the pricing policy of the manufacturers, their capacity utilisation, supplies and quality in terms of section 11 (d) of the Tariff Commission Act, 1951.	Noted. Attention of the industry and the recognised Associations of manufacturers also drawn to the recommendation.
46	There is great need for improving the quality of Zinc dust and other raw materials as well as bring down their prices It is hoped that their producers would make earnest efforts to bring down the cost of their manufacture and improve their quality so that they conform to Indian Standards Institution (ISI) standards.	Attention of producers of zin dust and other raw material is drawn to the recommendation.
47	In order to improve quality of raw materials as also to bring down the cost of manufacture of dye-intermediates for indigenous consumption and to make them more competitive in the foreign market, it is suggested that the producers of raw materials should ensure that their products conform to I S I. specifications. They should also make concerted efforts to economise in their cost of manufacture.	Attention of producers of raw materials is drawn to the recommendation.
48	Producers in both the large and small scale sectors should pay more attention to the quality of their products and remove the complaints voiced by the consumers. As dye-intermediates manufactured in India are now progressively entering the export markets it is imperative that the manufacturers become more quality-conscious to withstand international competition.	Attention of producers in both the large and small scale sectors of dye-intermediates is drawn to the recommendation
49	No information is available as to how far the following recommendation made in 1968 Report on the continuance of protection to the Dye stuffs Industry and covered *vide* Recommndation No. (15) of the Government Resolution No 14(1)-Tar68, dated the 7th December, 1968, has been implemented: (15) The Import licensing authorities should take note a of the comments of the Dye-stuff industry regarding cases of import of banned items and while formulating their future policy take effective steps to plug loopholes if any, that may come to light in the actual working. The recommendation is, therefore, again to the notice of Government.	Government will continue to pay attention to the recommendation with a view to implementing it to the extent possible.
50	TheCommission has raiterated the following recommendations made in its 1970 Review Report (on which Government's Resolution No 14(5)-Tar/69, dated 25-2-1971 was issued) for implementation to the extent possible: 1 (1)There should be greater coordination and co-operation among the small and large sclae sectors of the industry They should be able to exchange the products among themsalves on the basis of their mutual needs and avialability.	Government will continue to pay attention to these recommendations with a view to implementing them to the extent possible.

1	2	3
1(iv)	Some further checks should be imposed on the imports, particularly against *omnibus* Export. Promo ion Licences, of certain intermediates, which are already in production or for which adequate capacities exist in the country.	
1(v)	Where intermediates have still to be imported, prefernce should be given to the small scale sector, who have no capacity for the manufacture of these intermediates directly from raw materials.	
1(vi)	There is need for selective intensification and rationalisation of control over imports as well as establusment of regulatory control over distribution to ensure equitable sub-division of avilable supplies to all sectors of the industry. To this end, and t' take advantage of the possible economics through bulk purchasing, it may be necessary to canalise imports of raw materials and/or intermediates through a centralised body like State Trading Corporation. On occasions, it may be necessary to use the same, or some other machinery, to compulsorily purchase and distribute a specific part of the domestic prodiction of intermediates in short supply in an orderly nanner against the genuine requirements of all those who do not possess the facility of manufacturing such intermediates themsalves.	
2(	The installed capacity of ortho-toluidine being more than sufficient to meet the internal demand, steps should be taken to impose the production to aviod imports which are slightly more costly than the indigenous product.	
2(vii)	The reduction in the import quota of Tobias acid from 20 per cent to 10 per cent is expected to help the ultilisation of capacity which is more than adequate to meet the demand and reduce dependence on imports.	
2(ix)	It is inadvisable to allow import of aceto acet anilide to such an extent as to render a substantial part of the indigenous capacity idle. Reduction in import would help to increase the utilization of indigenous capacity and reduce dependence on imports.	
3.	A proper and realistic assessment of axisting production (both actual and potential) and demand should ,be made so that the gap between demand and supply with a small margin say 10% of the estimated demand for unforeseen contingencies should be filled by imports in a planned manner.	
5.	The intermediates should be classified according to their purity per cent and should bear the I. S. I. mark.	
8.	Government should encourage pilot studies by Institutions like the National Chemical Laboratry, Poona, on production and other aspects of the economy of intermediates which could provide guidance and expertise for the development of the Dyestuff industry and particularly the small sclae producers. The industry should also in its turn develop closer contacts with Institutions engaged in such pilot studies.	

1	2	3
	The Commission has also observed that there is considerable need to augment the output of (i) aceto acet anilide, (ii) aceto-acet ortho chloro anilide and (iii) Tobias acid by maximum utilisation of the existing capacity for these items to avoid imports.	

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

विदेश व्यापार मंत्रालय

संकल्प

टैरिफ

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1972

सं० 12(2) टैरिफ/72.—टैरिफ आयोग ने, 31 दिसम्बर, 1972 के बाद में रंजक मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 (1951 का 50) की धारा 11 (ङ) तथा 13 के अधीन एक जांच की। उसने 1971 में एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उसमें की गई सिफारिशें, अन्तिम रिपोर्ट में टैरिफ आयोग की और आगे सिफारिश के अध्यधीन रहते हुए, एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार कर ली गई, थी देखिए सरकारी संकल्प सं० 14 (5) टैरिफ/71, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971।

रंजक मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग के बारे में टैरिफ आयोग की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को इसी वर्ष जुलाई में प्रस्तुत की गई थी और उसमें की गई सिफारिशें, जिनमें से कुछ आयोग द्वारा बाद में स्पष्ट की गई उस रूप में सम्लग्न सारणी में संक्षप में दी गई हैं।

सारणी

क्रमांक	टैरिफ आयोग की सिफारिश	सरकार का विनिश्चय
1	2	3
	1. टैरिफ संरक्षण जारी रखा जाना	
	(क) संरक्षणात्मक शुल्क की वर्तमान दरों पर सरक्षण जारी रखा जाना।	
(1)	शुल्क की वर्तमान संरक्षणात्मक दरें, अर्थात् 60 प्रतिशत यथामूल्य (मानक) और 50 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी) निम्नोक्त रंजक-मध्यवर्ती पदार्थों पर 31 दिसम्बर, 1974 तक जारी रखी जायें :	स्वीकृत। यथासमय आवश्यक विधान बनाया जाएगा।
	भारती सीमा शुल्क टैरिफ	
	1. बीटा एमिनो एन्थाक्विनोन (2) एमिनो एन्थाक्विनोन)	28(35)

1	2	3
	2. एन्थाक्विनोन	भारती सीला शुल्क टरिफ
	3. एमिटो-,एसिट एनिलाइड	
	4. एसिटो-एसिट-आर्थो टौल्यूडाइड	28(39)
	5. तोबियस एसिड–(2 नफिथलमिन–1–सल्फोनिक एसिड)	
	6. एसिटो-एसिट-आर्थो–क्लोरोएनिडलाइड,	
	7. सी एमिड (2–क्लोरो-5-टोल्यूडाइन–4–सल्फोनिक एमिड अथवा 6–क्लोरो–मीटा– टोल्यूडाइन–4–सल्फोनिक एसिड)	
	8 मैटा-नाइट्रो एनिलाइन,	
	9. मेटा-नाइट्रो-पैरा-टोल्यूडाइन	
	10. फिनाइल–जे–एसिड (2–फिनाइलएमिनो नैफ्थाल–7–सल्फोनिक एसिड अथवा 2-फिनाइलएमिनो 5–हाइड्रोक्साई–नफथालीन–7–सल्फोनिक एसिड)	
	11. 1,5–डाइएमिनो–एन्थाक्विनोन,	
	12. शफर्स एसिड (2–नैफथोल–6–सल्फोनिक एसिड),	
	13. मीटा-क्लोरो एनिलाइन,	
	14. 2,5–डाइक्लोरो एनिलाइन	
	15. 4–कलोरो–2–एनिसिडाइन	
	16. 4–क्लोरो–2–नाइट्रो एनिसोल	
	17. ओर्थो नाइट्रो एनिलाइन,	
	18. पैरा टोल्यूडाइन मैटा सल्फोनिक एसिड,	28(40)
	19. ओर्थो-एमिनो एजो-टोल्यूलाइन (2,3–डाइमैथाइल–4–एमिनो, एजो–बैंजीन अथवा 4–ओर्थो–टोल्यूलाजो–ओर्थो-टोल्यूडाइन)	
	20. आर० साल्ट (2–नैफथाल–3,6–डाइसल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट)	
	21. बन्जोइल जै-एसिड (2–बैंजोल एमिनो 5–नफथोल–7–सल्फोनिक एसिड),	
	22. परा–नाइट्रोसोफनौल (1–हाइड्रोक्सी–4–नाइट्रोबैंजीन	
	23. डाईनाइट्रो स्टीलविन डाई सल्फोनिक एसिड (4,4–डाईनाइट्रा स्टीलविन–2,2–डाई सल्फोनिक एसिड),	
	24. बीटा नफथालिन थिओग्लाइकोलक एसिड (2–नफथालिक थिओग्लाइकोलिक एसिड ।	
	25. 4–कलोरो–ओर्थो-टोल्यूडाइन	

1	2	3
	26. 1–एमिनो–6–नाइट्रो–2–नफथोल––4–सल्फोनिक एसिड, 27. पैरा–नाइट्रो टोल्यून सल्फोनिक एसिड अथवा पैरा नाइट्रो टोल्यून-आर्थो-सल्फोनिक-एसिड-(टोल्यून-4-नाइट्रो-एस–सल्फोनिक एसिड अथवा बैन्जीन–1–मैथाइल–4–नाइट्रो–2–सल्फोनिक एसिड)	भारती सीमा शुल्क टैरि 28(40)
(2)	शत–प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा 40 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी) शुल्क की वर्तमान संरक्षणात्मक दरें, निम्नोक्त रजक मध्यवर्ती पदार्थों पर 31 दिसम्बर, 1974 जारी रखी जायें :	स्वीकृत । यथासमय आवश्यक विधान बनाया जाएगा ।
	1. फिनाइल पैरा एसिड (फिनाइलएमिनो नेफथालीन–8– सल्फोनिक एसिड), 2. ओर्थो टोल्यूडाइन, 3. डाइथोइल मैटा एमिनो फिनोल (मीटा–डाईइथाइल एमिनो फिनोल) 4 डाइएमिनो स्टीलबेनी डीसल्फोनिक एसिड (4,4–डाइएमिनो स्टीलबेनी–2,2–डाइसल्फोनिक एसिड), (ख) संरक्षणात्मक शुल्क की वर्धित दरो पर संरक्षण जारी रखा जाना	भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ मद 28(38)
(3)	60 प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा 50 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी), के वर्तमान संरक्षणात्मक शुल्क के स्थान पर शत्-प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा 90 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी) की संरक्षणात्मक शुल्क दरें निम्नोक्त दो मध्यवर्ती पदार्थों पर 31 दिसम्बर 1974 तक लगाई जायें :	स्वीकृत । शुल्क की सिफारश की गई दरें, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4 (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त की जा रहीं हैं ।
	1. मैटानिलिम एसिड, 2. क्विनिजारिन (1,4–डाइ-हाइड्रोक्सी–एन्थाक्विनोन)	भा० सी० शु० टै० मद 28(40) यथा समय आवश्यक विधान बनाया जाएगा ।
	(ग) संरक्षणात्मक शुल्क के वर्तमान स्तर से कम दरों पर संरक्षण जारी रखा जाना	
(4)	शत–प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा 90 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी) के वर्तमान संरक्षणात्मक शुल्क के स्थान पर 60 प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा	स्वीकृत । शुल्क की सिफारिश की गई दरें, भारतीय टैरिफ

1	2	3
	50 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी), के शुल्क की संरक्षणात्मक दरें 31 दिसम्बर 1974 तक निम्नोक्त मध्यवर्ती पदार्थों पर लगाई जायें ।	आशानयन, 1934 की धारा 4 (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त की जा रही हैं ।
	1. अ-एसिड (2–नफिथलमिन– 5–हाइड्रोक्साई–7–सल्फोनिक एसिड); 2. 4—क्लोरो–2–नाइट्रो एनिलाइन 3. पैरा एनिसिडाइन 4. पैरा टोल्यूडाइन	भा० सी० शु० टै० सं० 28(38)
	2. संरक्षण योजना के अंतर्गत लाई गई रंजक मध्यवर्ती पदार्थों की नई मदें	
(5)	निम्नोक्त रंजक मध्यवर्ती पदार्थों पर 60 प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा 50 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी) का वर्तमान कानूनी राजस्व शुल्क, समान संरक्षणात्मक शुल्क में परिवर्तित किया जाय, जो कि 31 दिसम्बर, 1974 तक प्रवृत्त रखा जाय :	स्वीकृत । शुल्क की संरक्षणात्मक दरें, भारतीय टरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 3–क के अधीन अधिसूचना द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हो रहा है ।
	1. चिकागो एसिड 2. जी–साल्ट 3. गामा एसिड 4. एच-एसिड 5. ज-एसिड यूरिया 6. मैटा-डोल्यूलाइल-डाइमाइन, 7. मैटा-फिनाइल-डाइमाइन 8. मीविल जिन्थर एसिड 9. पैरा नाइट्रो एनिलाइन 10. रोडूयलाइन एसिड 11. सल्फोनिक एसिड 12. सोडियम नफिथओनेट/नफिथओनिक एसिड	एसिटो एसिटिक इस्टर (मिथाइल/इथाइल), ट्राइक्लोरोबैंजिन, बंजीडाइन सल्फेट तथा डाइमीथाइल एनिलाइन, जिनके आयात सीमा शुल्क की रियायती दरों पर करने की अनुमति दी जा रही है को रंजक मध्यवर्ती पदार्थों की सूची से हटा लिया गया ।
	13. 2,5 डाइक्लोरो नाइट्रो बैंजीन 14. डाइमथाइल सल्फेट 15. बैटा-नैफथाल 16. एसिटो एसिटिक इस्टर (इथाइल/मिथाइल)	यथासमय आवश्यक विधान बनाया जाएगा ।

1	2	3	
	17. ट्राइक्लोरोवेंजीन 18. वेंजीडाइन हाइड्रोक्लोराइड/वेंजीडाइन सल्फेट , 19. डाइमेथिल एनिलाइन		
	3. रंजक मध्यवर्ती पदार्थों की मदें जिनके सम्बन्ध में संरक्षण वापिस लिया जाता है ।		
(6)	निम्नोक्त रंजक मध्यवर्ती पदार्थों को दिया गया संरक्षण 31 दिसम्बर 1972 के बाद में जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और इन पर शुल्क की संरक्षणात्मक दरें, 60 प्रतिशत **यथामूल्य** (मानक) तथा 50 प्रतिशत **यथामूल्य** (अधिमानों) पर राजस्व दरों में परिवर्तित कर दी जायें :	स्वीकृत :	
	1. 1-एमिनो एन्थाक्विनोन 2. ओर्थो -क्लोरा एनिलाइन 3. परा–क्लोरो एनिलाइन 4. परा नाइट्रो एनिसाल 5. क्लोरो–ओर्थो टोल्यूडाइन 6. 1,4–डाइएमिनो एन्थ्राविनोन 7. बैरी एसिड 8. 2,5–डाइमिथाइल–4–क्लोरोफिनाइल थिओग्लाइकोलिक 9. एमिनो-ओइसो-जी-एसिड	भा० सी० शु० ट० मद 28(40)	भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ मद 28(38) के अधीन वर्गीकृत रंजक मध्यवर्ती पदार्थों अर्थात् ओर्थो एनिसडाइन के मामले में भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचित, जिसमें 100 प्रतिशत यथामूल्य (मानक) तथा 90 प्रतिशत **यथामूल्य** (अधिमानी) का वर्तमान संरक्षणात्मक शुल्क घटाकर 60 प्रतिशत **यथामूल्य** (मानक) तथा 50 प्रतिशत यथामूल्य (अधिमानी) कर दिया गया है वह अलग से प्रकाशित की गई है । यथासमय आवश्यक विधान बनाया जाएगा ।
	10. ओर्थो एनिसिडाइन	(भा० सी० शु० ट० मद 28(38)	
	चूंकि अनुमान-योग्य भविष्य में उनके आयातों पर परिणामात्क नियंत्रक रहने की संभावना है इस लिए वे टैरिफ आयोग अधिनियम 1951 की धारा 11(क) के अर्थ के अन्तर्गत टैरिफ आयोग के पर्यवेक्षण के अधीन रहनी चाहिए ताकि 31 दिसम्बर 1974 तक इन मध्यवर्ती पदार्थों की प्रगति और विकास पर सतत् निगरानी रखी जा सके ।		
	11. बेन्जानथोन भा० सी० शु० ट० मद 28 (36) 12. बी० ओ एन एसिड भा० सी० शु० ट० मद 28(37)		

1	2	3
	13. 2,6–डाइएमीनो एन्थ्राक्विनोन 14. ओर्थो -नाइट्रो एनिसोल 15. 1–क्लोरो एन्थ्राक्विनोन 16. एन्थ्राक्विनोन–1–सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट	भा० सी० शु० ट० मद 28(40)

4. (रंजक मध्यवर्ती पदार्थों की वे मदें जिनके सम्बन्ध में उद्योग की सहायता के उपाय के रूप में शुल्क कम किया जाता है ।

(7) निम्नोक्त रंजक मध्यवर्ती पदार्थों को 31 दिसम्बर, 1974 तक कुछ शुल्क रियायत दी जाती रहे। शुल्क की रियायती दरें 40 प्रतिशत **यथामूल्य** (मानक) तथा 30 प्रतिशत मूल्य (अधिभानी) पर निश्चत की जाए । स्वीकृत :

1. सल्फा नेफफिलामाइन
2. 2–क्लोरो–4–नाइट्रो एनिलाइन
3. 3,3–डाइक्लोरो बैंजीडाइन
4. एन० एन० डाइथिलानिलाइन
5. 3,3–डाइक्लोरो बैन्जीडाइन, डाइहाइड्रोफ्लोराइड
6. मैटा-डाइनिट्रो बेन्जीन
7. मैटा नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन
8. मोनो-क्लोरो–पैरा–जाइलोन (1–क्लोरो–2,5–डाइमेथाइल बैंजीन अथवा 2–क्लोरो–1,4,–डाइमिथाइल बैन्जीन),
9. ओर्थो–नाइट्रो फलोरो बैन्जीन,
10. ओर्थो नाइट्रो टोल्यून
11. ओर्थो टोलिडाइन
12. पैरा नाइट्रो टोल्यूइन
13. पैरा टोल्यूइडाइन–ओर्थो–सल्फोनिक एसिड (पैरा टोल्यूइडाइन (1–मीथाइल 4–एमिनो)–सल्फोनिक एसिड,
14. पैरा नाइट्रो क्लोरो बैन्जीन ।

1	2	3
(8)	सीमाशुल्क कार्यालय की अधिसूचना सं० 148/एफ नं० 17/4/69–कस्ट, 1 दिनांक 15–11–1969 में नोट किए गए "पूर्वान्तिम रंजक-मध्यवर्ती पदार्थों" के संबंध में, निम्नलिखित सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :	स्वीकार कर ली गई । चूंकि (1) और (3) में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती पदार्थों की कोई सूची नही बनाई जा सकती है, अत : वर्तमान सशर्त छूट को जारी रखो जाये। आयातकों को विशिष्ट राशियों और विशिष्ट अवधि के लिए बराबर बांड फाइल करना चाहिए । पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय संबद्ध मध्यवर्ती पदार्थों के संबंध में प्रक्रिया तय करेगा ।
	(1) विशिष्ट और साथ ही अन्य मध्यवर्ती पदार्थों को, जिनका रंजक उद्योग में प्रमुख रूप से (अर्थात् 85 से 90 प्रतिशत तक) प्रयोग होता है, बिना शर्त शुल्क रियायतें प्रदान की जानी चाहिए और इस प्रकार उन्हें बांड निर्पन्धन से मुक्त कर दिया जाना चाहिए ।	
	(2) इसके विपरीत, उन मध्यवर्ती पदार्थों को रियायती शुल्क सूची से निकाल देना चाहिए जो रंजक उद्योग के अलावा अन्य उद्योगों में प्रमुख रूप से (अर्थात् 85 से 90 प्रतिशत तक) प्रयोग में लाये जाते हैं; तथा	
	(3) जो मध्यवर्ती पदार्थ उपरोक्त दोनों समूहों में से किसी में भी नहीं आते किन्तु तैयार रंजक पदार्थों की उत्पादन लागत में उनकी लागत का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उन्हे शुल्क में रियायत जारी रखी जाये बशर्ते आयातक बांड पूरा कर दे । इन सिफारिशों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जायें :	
	(4) सीमाशुल्क अधिकारियों की बांड संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में जहां नाम मात्र का शुल्क दिया जाये, वहां बांड की आवश्कयता नहीं है । जहां रंजक पदार्थों के उत्पादन के लिए रंजक मध्यावर्ती पदार्थों की आवयश्कता है, वहां बड़े क्षेत्र के संबंध में तकनीकी विकास के महा निदेशक से और लघु क्षेत्र के संबंध में उद्योग निदेशक के अंतिम प्रयोग का प्रमाण पत्र देना होगा शेष मामलों में, प्रत्येक आयात के लिए पृथक-पृथक बांड लेने के बजाय, यह महसूस किया जाता है कि विशिष्ट अवधि के लिए कुछ धनराशि का सतत आधार पर बांड लेना उपयुक्त होगा। यह महसूस किया गया कि इस विषय पर स्थायी समिति भी विचार करे ।	

1	2	3
(9)	बैनजीन, इथाइल बैनजीन, बैन्जोल टाल्युईन, टाल्युओल और लाइट सोलवेंट नैपथा (बन्जीन और टाल्युईन का मिश्रण) के लिए उत्पादन शुल्क में दी गई आंशिक छूट आर्थो जाइलीन पर भी लागू कर दी जाये ।	उत्पादन शुल्क के आंशिक छूट के लिये पात्र रंजक मध्यवर्ती पदार्थों की सूची में आर्थो जाइलीन को शामिल करने की सिफारिश इस आधार पर की गयी है कि इस रियायत से आर्थो जाइलीन पर आधारित मध्यवर्ती पदार्थों के निर्यात में सहायता मिलेगी चूंकि ऐसे माध्यवर्ती पदार्थों के निर्यातों पर कटौती/शुल्क की वापसी करके शुल्क की पर्याप्त क्षतिपूर्ति कर दी जाती है अत : इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है ।
(10)	सार्वजनिक पूछताछ के दौरान गवेषणा तथा विकास संवर्धन के सम्बन्ध में उत्पादकों के सम्मुख आने वाले विविध कठिनाइयों का पता चला । यह बताया गया कि हालांकि गवेषणा कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा तथा सुविधायें उपलब्ध हैं लेकिन इस क्षेत्र में शीघ्र प्रगति को बढावा देने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिये जा रहे है । उदाहरणार्थ, यह हवाला दिया गया कि वर्तमान विधान के अनुसार गवेषणा पर व्यय करने के लि निर्धारित राशि उसी वर्ष व्यय करनी होती है, यदि उस पर आय कर की राहत लेनी है । गवेषणा सतत प्रक्रिया है अतः यह तर्क दिया गया कि कर में राहत पाने के लिए सम्पूर्ण राशि को उसी वर्ष व्यय करना व्यवहारिक नहीं है । साग्रह यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है ताकि विनिर्माता कुछ वर्षों में जो व्यय करें उस पर वे कर सम्बन्धी राहत ले सकें । यह भी कहा गया कि एकक अपनी अलग-अलग गवेषणा तथा विकास निधि बना सकते हैं और जिन वर्षों में काफी लाभ अर्जित हो, इस निधि के	नोट कर लिया गया ।

1	2	3
	लिए कुछ अन्य प्रयोग रद्द किया जाये और उस पर कर नहीं लगाये जाने चाहिए। यह बात कुछ अर्थपूर्ण प्रतीत होती है और इसे सरकार के ध्यान में लाया गया है।	
	5. अन्य अनुषंगी सिफारिशें	
(11)	यदि बाद में निर्माताओं को यह पता चलता है कि कतिपय बिना लागत लगाये गये मध्यवर्ती पदार्थों के सम्बन्ध में जिन संरक्षणात्मक दरों की सिफारिश की गई है वे अलाभकर मूल्य को पूरा करने में अपर्याप्त है, तब वे संरक्षण की राशि में उपयुक्त परिशोधन करने के लिए, आवश्यक जानकारी के साथ, आयोग के पास आवेदन पत्र भेज दें।	नोट कर लिया गया।
(12)	(1) एमिटो एसिट मोटा जाइनाइड और (2) एसीटो एसिट आर्यो एमिसिडाइड के सम्बन्ध में संरक्षण की आवश्यकता नहीं है और इन पर 60 प्रतिशत यथामूल्य (मानक) और 50 प्रतिशत यथामल्य (अधिमानी) की दर से शुल्क की वर्तमान राजस्व दरें जारी रहनी चाहियें।	स्वीकार कर ली गयी।
(13)	(1) सीटो एसिटिक इस्टर (2) ट्राइक्लोरो बैन्जीन (3) डिमिथाइल एनीलीन और (4) बैन्जीडीन सल्फेट पर लगे रियायती शुल्क को समाप्त कर दिया जाये।	स्वीकार कर ली गयी। शुल्क सम्बन्धी रियायत समाप्त कर दी गई है। नये रंजक मध्यवर्ती पदार्थों की सूची में, जिन्हें संरक्षण दिया गया है, एसीटो, एसिटिक ईस्टर, ट्राईक्लोरो बैन्जीन डिमिथाइल एनीलीन और बैन्जीडीन सल्फेट को शामिल कर लिया गया है।
(14)	(1) ऐमिनो-एजो बैन्जीन हाइड्रोक्लोराइड, (2) लाॅन्ट सिड और (3) पैरा एमिनो-एसिटनीलीड पर शुल्क सम्बन्धी रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है और इन मध्यवर्ती पदार्थों पर 60 प्रतिशत **यथामल्य** (मानक) और 50 प्रतिशत **यथामूल्य** (अधिमानी) की दर से वर्तमान राजस्व शुल्क की दरें जारी रहें।	स्वीकार कर ली गई।

1	2	3

(15) कुछ उत्पादकों ने निम्नलिखित 29 मध्यवर्ती पदार्थों के संबंध में शुल्क की रियायती दरों के लिए जो अनुरोध किया था। वह नहीं माना गया। न मदों पर राजस्व शुल्क की वर्तमान दरें जारी रहेंगी।

स्वीकार कर ली गई।

1. 3–एमिनो एनिसिक एसिड एनीलीड (3–एमिनो-पैरा-एनिसनीलीड)
2. 2, 4–डाइनाइट्रोक्लोरोबेन्जीन
3. 2, 5–डाइक्लोरोनाइट्रोबेन्जीन
4. एथिल बैन्जीलानीलीन
5. 4–क्लोरो-ग्रार्थो नाइट्रोटोल्यन (4–क्लोरो–2–नाइट्रोटोल्यून)
6. मिशलर किटोन (4, 4'–बिस (डिमिथाइल मिनो)–बिन्जि-फिनोन)
7. पैरा–क्लोरोफिनोल
8. फिनील एल्फानैफिथलामीन
9. फिनील हाइड्राजीन
10. टट्रामेथिलथियोलिया
11. 4, 4'–डी (6–मिथिलबन्जथियाजील) एजो-बैन्जीन
12. फिनीलमेथिलापाइरा जोलोन (3–मिथेल–1–फिनेल–5–पाइराजोलोन)
13. एनीलीन
14. ग्रार्थो डी क्लोरोबेन्जीन
15. पैरा–ग्रोरिमीडीन (5–मेथिल-ग्रार्थो एनीमीडीन)
16. 2–ऐसीटिलेमीन–3–क्लोरा एन्थ्राक्यूनोन
17. 2– एमिनो–3–हाइड्रोक्सीएन्थ्राक्यूनोन
18. एन्थ्रा फ्लेविक एसिड/केलिडोन साल्ट ए एफ 20 प्रतिशत पेस्ट
19. 1–2–डाईक्लोरो–4–नाइट्रोबेन्जीन
20. 1, 1–डाइनेफथाइल–8, 8–डाइ कार्बोक्सिलिक एसिड
21. मेटा-टोल्यूडीन

1	2	3
	22. मैटा–जाइलीडीन 23. मोलिब्डिक एसिड 24. ओर्थो सल्फानिलिक सिड 25. 1–9–पिराजोलैन्थ्रोन 26. 2, 4, 5–ट्राइक्लोरो नीलीन 27. डिड्राइड्रोथिओ-पैरा-टोल्यूडीन-सल्फोनिक एसिड 28. 2, 5–जाइलिडिन 29. 2–एमिनो–3, 5–जाइलीन सल्फोनिक सिड	
(16)	एसिटो-एसिटिकईस्टर के आयात इस प्रकार विनियमित किये जाने चाहिए जिससे वह देशी उत्पादन सेवेशी मांग को ही केवल पूरा करे । साथ ही उत्पादकों को संयंत्र के संचालन में सभी संभव किफायतें करके अपनी उत्पादन लागत कम करने के लिए भी सभी प्रयास करने होंगे ।	समय समय पर लागू आयात नीति के अंतर्गत संभव सीमा तक क्रियान्वित की जायेगी । सिफारिश के अंतिम भाग की ओर एसिटो-एसिटिक-ईस्टर के उत्पाद का ध्यान दिलाया गया है ।
(17)	मैटा–नाईट्रो–पैरा टोल्यूडीन के आयातों पर, यदि कोई हों, निगरानी रखी जाये ।	स्वीकार कर ली गई ।
(18)	नीचे लिखे 7 मध्यवर्ती पदार्थों के आयात पर रोक लगाने से संबंधित वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति को संरक्षण अवधि के दौरान अर्थात् 31 दिसम्बर, 1974 तक, जारी रखने की आवश्यकता है ताकि घरेलू क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके : 1. एसिटो एसिट एनिलाइड 2. एसिटो एसिट ओर्थो क्लोरो एनिलाइड 3. एसिटो एसिट ओर्थो टोल्यूडीन 4. 4, 4' डाइनाइट्रो स्टिलबीन–2, 2'–डाईसल्फोनिक एसिड 5. पैरा नाइट्रोटोल्यून ओर्थो सल्फोनिक एसिड 6. पैरा टोल्यूडीन 7. पैरा टोल्यूडीन–मैटा सल्फोनिक एसिड	समय समय पर लागू आयात नीति के अंतर्गत संभव सीमा तक क्रियान्वित की जाये गी ।

1	2	3
(19)	नीचे लिखे 12 मध्यवर्ती पदार्थों के प्रतिबंधित आयातों से संबंधित वर्तमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति को संरक्षण अवधि के दौरान, अर्थात् 31 दिसम्बर, 1974 तक जारी रखने की आवश्यकता है ताकि घरेलू क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके । 1. 1–एमिनो–6–नाइट्रो–2–नैफथोल–4–सल्फोनिक एसिड 2. बैन्जोइल–जे एसिड 3. 4–क्लोरो–2–नाइट्रो एनिलीन 4. 1–5–डाइएमिनो एन्थ्राक्यूनोन 5. 2, 5–डाइक्लोरो नाइट्रोबेन्जीन 6. 2–नैफ्थाइल–थिओग्लाइक्लोलिक एसिड 7. फिनाइल–पैरी–एसिड 8. पैरा एनिसिडीन 9. फिनाइल–जे–एसिड 10. आर-साल्ट 11. शैफर एसिड 12. टोबियास एसिड	समय समय पर लागू आयात नीति के अंतर्गत संभव सीमा तक क्रियान्वित की जायेगी ।
(20)	(1) डाइमिथाइल सल्फेट (2) 4, 4' डाइएमिनो स्टिल्बेनी–2–2'–डाइसल्फोनिक एसिड और (3) ओर्थो टोल्यूडीन के आयात इस प्रकार विनियमित किये जाने चाहिएं ताकि घरेलू क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके ।	समय समय पर लागू आयात नीति के अंतर्गत संभव सीमा तक क्रियान्वित की जायेगी ।
(21)	निम्नलिखित मध्यवर्ती पदार्थों के आयातों को प्रभावी रूप से विनियमित किया जाते रहना चाहिये । 1. पैरा–नाइट्रोसोफिनोल 2. 4–क्लोरो–ओर्थो–टोल्यूडीन	समय समय पर लागू आयात नीति के अंतर्गत संभव सीमा तक लागू की जायेगी ।
(22)	जे–एसिड के घरेलू उत्पादन और उसकी कुल मांग के बीच के अन्तर को कारगर रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु क्षेत्र की आवश्यकता यथेष्ट रूप में उचित कीमत पर पूरी हो जायें, ज–एसिड के आयात की अनुमति देना वांछनीय होगा ।	समय समय पर लागू आयात नीति के अंतर्गत संभव सीमा तक लागू की जायेगी ।

1	2	
(23)	आयात तथा अन्य संबद्ध मामलों पर समग्ररूप से संतुलित रूप में विचार किये जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस उद्योग को सभी संभव सहायता दी जाये ताकि वह न केवल विभिन्न मदों की प्रस्थापित क्षमता का यथासंभव पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके बल्कि जहां भी आवश्यक हो, अपेक्षित विस्तार की भी अनुमति दी जाये। यदि पहले से उत्पादित की जा रही मदों के आयात पर, पूर्ण रूप से रोक लगा कर अथवा प्रतिबंधित आधार पर आयात करने की अनुमति देकर, कोई प्रतिबंध लगाना पड़े तो समग्र रूप से राष्ट्रीय हित को मद्दे नजर रखते हुए, कुल मिला कर, उद्योग को ध्यान में रख कर इस मामले पर युक्तियुक्त ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।	यथा सीमा कार्यान्वित की जायेगी
(24)	भारतीय लघु उद्योग संघ के परिसंघ द्वारा दिये गये सुझावों के प्रकाश में रंजक-पदार्थ उद्योग द्वारा आयातित रासायनिक पदार्थों संबंधी आयात नियंत्रण नीति को युक्तियुक्त बनाया जाये।	नोट कर ली गई।
(25)	मध्यवर्ती रंजक-पदार्थों के मामले में, जिसका देश में ही उत्पादन आरम्भ किया जाना था, इस समय आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक तथा उद्योग के बीच समुचित समन्वय का कुछ अभाव दृष्टिगोचर होता है। उद्योग को चाहिए कि वह अपने विनिर्माण कार्यक्रमों के बारे में अपनी नवीनतम विकासात्मक गतिविधियों के विषय में आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को नियमित रूप से सूचित करता रहे ताकि आयात नियंत्रक नीति निरूपित करते समय आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक उन विकासात्मक गतिविधियों को भी ध्यान में रख सकें।	सिफारिश की ओर उद्योग का ध्यान दिलाया जाता है।
(26)	उद्योग की सुव्यवस्थित प्रगति तथा विकास पर निगरानी रखने हेतु, उस प्रत्येक रंजक मध्यवर्ती पदार्थ के आयात के प्रवाह के विषय में जानकारी रखना जरूरी है जिसकी वार्षिक आवश्यकता महत्वपूर्ण अर्थात् 10 मे० टन से अधिक होने की संभावना हो। ऐसे रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के आयात के आंकड़े, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन निदेशालय को अलग से रखने चाहिएं।	नोट कर ली गई। यथासंभव सीमा तक कार्यान्वित की जायेगी।
(27)	इस बात की जांच की जानी चाहिए कि संवेदनशील मदों के मामले में लाइसेंसों की वैध अवधि को क्यों न कम किया जाये ताकि उन मदों की उपलब्धि की तुलना में उनकी आयातों की स्थिति का पुनरीक्षण, अधिक बार, अर्थात् प्रत्येक छः महीने के अंतराल पर किया जा सके।	नोट कर ली गई।

1	2	3
(28)	विदेशी मुद्रा साधनों की स्थिति तथा अन्य संबद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को रुपया मुद्रा क्षेत्र के लाइसेंसों को कम से कम 20 प्रतिशत तक दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र के लाइसेंसों में परिवर्तित करने की अनुमति दिये जाने के सुझाव पर उस अवस्था में सहानुभूति-पूर्वक विचार करना चाहिए, जब कोई उत्पादनकर्ता यह सिद्ध कर दे कि वह ऐसी मद विशेष का प्रयोग कर रहा है जो रुपया मुद्रा क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है ।	नोट कर ली गई ।
(29)	किसी रंजक मध्यवर्ती पदार्थ विशेष का न केवल पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है बल्कि अपेक्षित क्वालिटी तथा उसकी उचित कीमत सुनिश्चित करना भी आवश्यक है । अतः यह आवश्यक है कि लाइसेंस देने से पहले, संबद्ध प्राधिकारी, संभावित विनिर्माताओं द्वारा दी गई लागतों के ब्यौरों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा कर लें ।	नोट कर ली गई ।
(30)	उद्योग के कुछ एककों द्वारा दिये गये इन सुझावों पर आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक विचार कर सकते हैं : (1) ऐसे एककों के लिए नरम इस्पात की निकासी करना, जो अपने संयंत्र तथा उपस्कर स्वयं तैयार करना चाहें, तथा (2) उत्पादकों द्वारा स्थापित, मशीनों के विदेशी मेकों के फालतू हिस्सों का आयात करने की अनुमति देना ।	नोट कर ली गई । यथासंभव सीमा तक कार्यान्वित की जायेगी ।
(31)	लघु उद्योग के विकास आयुक्त से अनुरोध किया जाये कि वे खतरनाक रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में विष संबंधी जोखिम को दूर करके ऐसी कार्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठायें जिसमें खतरा न हो ।	नोट कर ली गई ।
(32)	महत्वपूर्ण मध्यवर्ती रंजक पदार्थ, ऐंथेटिक-एन्टर की मांग तथा उपलब्धि के बीच काफी अन्तर को देखते हुये मध्यवर्ती पदार्थों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अन्ततोगत्वा घरेलू उत्पादन से ही स्वदेशी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके ।	नोट कर ली गई । सिफारिश की ओर उद्योग का ध्यान दिलाया जाता है ।
(33)	उद्योग के लघु तथा विशाल, दोनों क्षेत्रों, विशेषतः लघु उद्योग क्षेत्र की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, खपत तथा अन्य विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में उद्यतन ठीक-ठीक आंकड़े रखना आवश्यक है । उत्पादन संघों को चाहिये कि वे सुसंगत आंकड़ों को एकत्र करने तथा संकलन करने की व्यवस्था करें और उन आंकड़ों को समय-समय पर विकास आयुक्त (लघु उद्योग) तथा तकनीकी विकास के महा-निदेशक को भेजते रहें ।	सिफारिश की ओर उद्योग का ध्यान दिलाया जाता है ।

1	2	3
(34)	सप्लाई किये जाने वाले माल की क्वालिटी पर नजर रखने के रूप में, अपने ही हित में, भारतीय राज्य व्यापार निगम को चाहिये कि वह माल की प्राप्ति होने पर स्वयं ही नमूनों के परीक्षण की व्यवस्था करने पर विचार करे, यद्यपि उसका कार्य विशालस्तर पर होता है और विदेशी विनिर्माताओं से अपेक्षित विश्लेषण प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाते हैं ।	सिफारिश की ओर राज्य व्यापार निगम का ध्यान दिलाया जाता है ।
(35)	राज्य व्यापार निगम का यह सुझाव है कि उनके माध्यम से किये जाने वाले आयातों के मामले में ग्राहक को पक्के क्रयादेश देने चाहियें और जमा के रूप में माल का 5 से 10 प्रतिशत तक मूल्य पेशगी देना चाहिये । राज्य व्यापार निगम उसके बदले उस राशि पर ब्याज देने के लिये तैयार है । यह प्रस्थापना सरकार द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है ।	नोट करली गई]।
(36)	इस प्रगतिशील उद्योग के हित में भारतीय मानक संस्थान को चाहिये कि वह यथा सम्भव अधिकतम संख्या में महत्वपूर्ण मध्यवर्ती रंजक पदार्थों के शुद्धता प्रतिशत को उचित रूप से ध्यान में रखते हुये शीघ्र ही अन्तिम रूप से मानक विशिष्टियां तयार कर ले ।	सिफारिश की ओर भारतीय मानक संस्थान का ध्यान दिलाया जाता है।
(36क)	जहां कहीं भी किसी एक मद का एक या अधिक से अधिक दो विनिर्माता हों, जिनका उसके समग्र उत्पादन पर नियंत्रण हो, उन्हे अन्तिम उपयोक्ता के अहित में कीमते ऊंची करने के विचार से संगत उत्पाद की सप्लाई में कृत्रिम कमी उत्पन्न न करने दी जाये । आवश्यकता इस बात की है कि उचित रूप से योजना बनाई जाये ताकि, यदि आवश्यकता पड़े तो, आतरिक मांग के साथ-साथ मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये विदेशी बाजारो की मांग भी पूरी करने हेतु श्रमदाताओं का विस्तार किया जा सके और इस प्रकार उत्पादन मे समग्र रूप से वृद्धि हो सके ।	नोट कर ली गई ।
(37)	रंजक-सामग्री तथा रंजक-मध्यवर्ती पदार्थों के निर्यात संवर्धन हेतु निर्यात संवर्धन समिति तथा रजक-सामग्री विनिर्माता संघ द्वारा रखी गई विभिन्न प्रस्थापनाये ऐसी कार्यवाही के लिये, जो उचित समझी जाये, सरकार के ध्यान में लाई जाती है ।	नोट कर ली गई । यथासंभव सीमा तक कार्यान्वित की जायेगी ।

1	2	3
(38)	उद्योग के कार्यकरण सम्बन्ध में उत्पादकों द्वारा दिये गये निम्नलिखित सुझाव ऐसी कार्यवाही के लिये जिसे वह आवश्यक समझे, सरकार के ध्यान में लाये जाते है :	यथासीमा तक कार्यान्वित की जायेगी ।
	(1) भेषजों तथा प्लास्टिक जैसे सम्बद्ध उत्पादों के निर्माण पर लगाये गये प्रतिबन्ध उस समय समाप्त कर दिये जायें जब संयंत्र में काम नहीं हो रहा हो ;	
	(2) एककों के आकार अथवा उसके विस्तार की बात का ध्यान रखे बिना निर्धारित राशि के आधार के बजाय, लागत पूंजी के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर फालतू हिस्सों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये ;	
	(3) यदि कोई पेटेंट अन्तर्गस्त हों तो नाम मात्र के स्वामित्व का भुगतान करके पेटेंट के स्वामियों को विनिर्माण अधिकार देने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये ;	
	(4) उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने हेतु उत्पादन शुल्क, बिक्री कर चुंगी तथा इस प्रकार के अन्य महसूलों को कम करने अथवा हटाने की आवश्यकता है ;	
	और	
	(5) बड़े स्तर के एककों, द्वारा, जो रंजक तथा रंजक मध्यवर्ती पदार्थों दोनों का उत्पादन करते हैं, रंजकों के उपभोक्ताओं को इस समय दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को लघु क्षेत्र में रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माताओं को भी दिया जाना चाहिये ।	
(39)	उद्योग को अपने गवेषणा तथा विकास कार्यों को बढ़ाने में सहायता करने के लिये कार्बनिक रसायन उद्योगों (रंजक पेनल) की विकास परिषद् का विभिन्न एककों के गवेषणा प्रयत्नों का समन्वय करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये । राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना को भी इस कार्य में सम्बद्ध किया जाना चाहिये । सरकार, कुछ नई मदों के लिये टेक्नोलोजी खरीदने की संभाव्यता पर भी विचार कर सकती है और जो इसका प्रयोग करना चाहें उन्हें उपलब्ध कर सकती है ।	नोट कर ली गई ।

1	2	3
(40)	उद्योग में गवेषणा तथा विकास कार्यों को बढ़ाने और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (रा० र० प्र०) द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये रा० र० प्र० को, इस समय प्रायोजित गवेषणा परियोजनाओं के आरम्भ करने के अतिरिक्त लघु तथा माध्यम स्तर पर की कम्पनियों के रसायनज्ञों तथा योग्य औद्योगिकविज्ञों को इस बात की अनुमति देने के लिये सहमत हो जाना चाहिये कि वे अन्वेषण तथा परीक्षण करने के लिये उचित शुल्कों का भुगतान करके (रा० र० प्र०, पूना) में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं ।	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला तथा साथ ही उद्योग का भी ध्यान इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया जा चुका है ।
(41)	यद्यपि बड़े तथा छोटे स्तर के एककों द्वारा बनाये जाने वाले रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के बीच स्पष्ट भेद करना संभव नहीं है, तो भी अन्य बातों के साथ-साथ कार्य कुशलता तथा अर्थसक्षमता को ध्यान में रखते हुये सुव्यवस्थित उत्पादन का एक कार्यक्रम पूर्ण करने हेतु मार्गों पायों का पता लगना उचित रहेगा जिससे उद्योग की स्वस्थ तथा तीव्र प्रगति सहायता से प्राप्त हो सके । रंजक उद्योग के लिये हाल में बनाई गई स्थायी समिति, जिसमें न के वल सरकार के प्रतिनिधि हैं अपितु उद्योग के दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, इस दिशा में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकती है ।	नोट कर ली गई ।
(42)	उद्योग के बड़े तथा छोटे स्तर के उद्योग एककों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता तथा उत्पादन की अति व्याप्ति बचाने के लिये, बड़े स्तर तथा छोटे स्तर के बीच कुछ युक्तियुक्त विभाजन आवश्यक है । पूरे उद्योग के उचित विकास के लिये उन्हें एक दूसरे का प्रतियोगी होने के बजाय फरक होना चाहिये । यद्यपि निर्माण की वे मदें जिनमें बड़े स्तर पर उत्पादन अपेक्षित है और साथ ही वे मदें जिदमें जटिल प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त है बड़े क्षेत्र के एककों द्वारा जिनके पास आवश्यक गवेषणा तथा विकास की सुविधाओं सहित आवश्यक सुविधायें हैं अधिक लाभप्रद ढंग से तथा दक्षतापूर्वक उत्पादित की जा सकती हैं परन्तु विशिष्ट प्रयोगों के लिये छोटी मात्रा में अपेक्षित रुचिपूर्ण मदों तथा साथ ही उन मदों का जिनमें सामान्य प्रक्रिया अपेक्षित होती है उत्पादन अच्छा रहेगा यदि लघु क्षेत्र के लिये छोड़ दिया जाये जिसके साथ यह लाभ है कि वह श्रम प्रधान है ।	उद्योग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है ।

1	2	3
(43)	विदेशी तकनीकी सहयोग से उत्पादित किये जाने पर भी अनेक रंजक मध्यवर्ती पदार्थों में कच्चे माल तथा अन्य विशिष्ट साधनों का प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से उस स्तर से अधिक होता है जितना अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य मानकों के अनुसार आवश्यक है । कच्चे माल की इस अधिक खपत से उत्पादन दक्षता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप तैयार उत्पादों की लागत बढ़ जाती है । यह एक गम्भीर मामला है और इस पर सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना चाहिये ।	नोट कर लिया गया । भारतीय मानक संस्था का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है ।
(44)	थलिक एनहाइड्राइड के उत्पादकों को इसके निर्माण की प्रक्रिया में किफायत करने हेतु सभी सम्भव मार्गोपायों का पता लगाना चाहिये ताकि इसकी कीमत यथासम्भव आयातित उत्पाद के जहाज से उतरते समय की लागत के स्तर पर लाई जा सके ।	थलिक एनहाइड्राइड के उत्पादकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है ।
(45)	अब समय आ गया है कि जब कि उद्योग को किसी न किसी प्रकार के स्वैच्छिक नियंत्रण लगाये जाने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं के लिए इसके उत्पादों की बिक्री कीमतें उचित तथा उपयुक्त हों । निर्माताओं की मान्यता-प्राप्त संस्थायें भी ऐसे कीमत नियंत्रण को सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं तथा उन्हें करनी चाहिये । इस संदर्भ में, 1970 के समीक्षा प्रतिवेदन पर सरकारी संकल्प सं० 14(5) टैर/69 दिनांक 25-2-1971 में दी गई आयोग की सिफारिश सं० 4 के प्रसंग में यह प्रस्थापित किया जाता है कि कुछ रंजक मध्यवर्ती पदार्थों को चुना जाये और उनकी टेरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11(घ) के अनुसार निर्माताओं की कीमत नीति, उपयोग क्षमता, पूर्तियों और क्वालिटी की गहन जांच की जाए ।	नोट कर लिया गया है । उद्योग तथा निर्माताओं की मान्यता-प्राप्त संस्थाओं का ध्यान इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया जा चुका है ।
(46)	जस्ते के चूर्ण तथा अन्य कच्चे माल की किस्म सुधारने की तथा साथ ही उनकी कीमतों को कम करने की आवश्यकता है । आशा है कि उनके उत्पादक अपने माल की लागत कम करने और उनकी किस्म सुधारने के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयास करेंगे ताकि वे भारतीय मानक संस्था के (आई० एस० आई०) मानकों को अनुरूप हो सकें ।	जस्ते के चूर्ण तथा अन्य कच्चे माल के उत्पादकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है ।

1	2	3
(47)	कच्चे माल की किस्म सुधारने और साथ ही स्वदेशी उपभोग के लिये रंजका मध्यवर्ती पदार्थों की निर्माण लागत कम करने और विदेशी बाजारो में उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाने के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि कच्चे माल के उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके उत्पाद भारतीय मानक सस्था की विशिष्टियों के अनुरूप है। उन्हें अपनी निर्माण लागत में किफायत करने के पुरजोर प्रयत्न करने चाहिये ।	कच्चे माल के उत्पादकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा चुका है ।
(48)	बड़े तथा लघू क्षेत्रों, दोनों में, उत्पादकों को अपने उत्पादों की किस्म और उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । चूकि भारत में निर्मित रंजक मध्यवर्ती पदार्थों का निर्यात बाजारो में प्रवेश बढ़ता जा रहा है, अतः यह आवश्यक है कि निर्माता अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने हेतु क्वालिटी का अधिक ध्यान रखें ।	रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के बड़े तथा छोटे स्तर दोनों मे उत्पादकों का ध्यान इस सिफारिश की ओर आकर्षित किया जा चुका है ।
(49)	रंजक पदार्थ उद्योग के लिये संरक्षण जारी रखने के बारे में 1968 के प्रतिवेदन में की गई और सरकारी संकल्प सं० 14(1)-टैर/68 दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 में सम्मिलित की गई निम्नलिखित सिफारिश सं० (15) को कहां तक कार्यान्वित किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नही है : (15) आयात लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रतिबन्धित वस्तुओं के आयात के मामलों के सम्बन्ध में रंजक पदार्थ उद्योग की टिप्पणियों की ध्यान में रखना चाहिये तथा भावी नीति निर्धारित करते समय उन कमियों को दूर करने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये जो वास्तविक कार्यकरण के समय ध्यान में आयें । अतः सिफारिश को पुनः सरकार के ध्यान में लाया जाता है ।	सरकार यथासंभव इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये ध्यान देती रहेगी ।
(50)	आयोग ने अपने 1970 के पुनरीक्षण प्रतिवेदन में जो निम्नलिखित सिफारिशें की थीं (जिन पर सरकारी संकल्प सं० 14(5)-टैर/69 दिनांक 25-2-71 जारी किया गया था) उनको यथासम्भव कार्यान्वित करने के लिये उसने पुनः दोहराया है ।	सरकार यथासंभव इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये ध्यान देती रहेगी ।

1	2	3

1(1) उद्योग के छोटे तथा बड़े स्तर के क्षेत्रों में और अधिक समन्वय तथा सहयोग होना चाहिये । उनको अपनी पारस्परिक आवश्यकताओं तथा उपलब्धि के आधार पर अपने बीच उत्पादों का आदान-प्रदान करने योग्य होना चाहिये ।

1(4) कुछ एसे मध्यवर्ती पदार्थों के, जिनका पहल ही उत्पादन हो रहा है या जिनकी काफी उत्पादन क्षमता देश में ही विद्यमान है, आयातों पर, विशेषत: उन आयातों पर जो बहुउद्देश्यीय निर्यात संवर्धन लाइससों के आधार पर किये जाते हैं, कुछ और प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें ।

1(5) जहां मध्यवर्ती पदार्थों की अभी भी आयात होने हैं वहां लघु स्तरीय क्षेत्र को जिनके पास इन मध्यवर्ती पदार्थों को कच्चे माल के सीधे तैयार करने की क्षमता नही है, प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

1(6) उद्योग के सभी क्षेत्रों को उपलब्ध सप्लाई का न्यायोचित ढंग से उप-विभाजन सुनिश्चित करने के लिये आयातो पर नियंत्रण को चयनात्मक ढंग से तीव्र और सुव्यवस्थित करने तथा साथ ही वितरण पर विनियात्मक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है । इस प्रयोजन के लिये तथा अधिक खरीद से होने वाली संभव बचतों का लाभ उठाने के लिये यह आवश्यक होगा कि कच्चे माल और या मध्यवर्ती पदार्थों के आयात राज्य व्यापार निगम जैसी एक केन्द्रित निकाय के माध्यम से किये जाये । कभी-2 यह भी आवश्यक होगा कि कम सप्लाई वाले मध्यवर्ती पदार्थों के घरलू उत्पादन का एक विशिष्ट भाग अनिवार्य रूप से खरीदने के लिये और जिनके पास एसे मध्यवर्ती पदार्थों के उत्पादन की सुविधायें नही है, उन सबकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार सही ढंग से उसका वितरण करने के लिये उसका या किसी अन्यव्यवस्था का प्रयोग किया जाये ।

1	2	3

2(5) चूंकि आर्थो-टोल्यूडीन की स्थापित क्षमता आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक है, अतः उत्पादन मे सुधार लाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए, ताकि आयात न किये जायें जोकि स्वदेशी उत्पाद की अपेक्षा अधिक महंगे पडते हैं ।

2(7) टोबियस अम्ल का आयात कोटा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देने से ऐसी ,आशा है कि उस उत्पादन क्षमता का उपयोग हो सकेगा जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा उससे आयातों पर निर्भरता भी घटेगी ।

2(9) यह उचित नहीं है कि एसिटो ससेट एनीलीड के आयात की अनुमति इस सीमा तक दी जाए जिससे स्वदेशी उत्पादन क्षमता का काफी भाग का प्रयोग होना बन्द हो जाये । आयात में कमी करने से स्वदेशी क्षमता के उपयोग में वृद्धि होगी तथा आयातों पर निर्भरता घटेगी ।

3. वर्तमान उत्पादन (यथार्थ एवं संभाव्य दोनों) तथा मांग का उचित एवं वास्तविक मूल्यांकन करना चाहिए ताकि मांग और सप्लाई के बीच आकस्मिकताओं के लिए जो थोड़ा सा—अर्थात् अनुमित मांग का 10 प्रतिशत —अन्तर रहे उसकी पूर्ति नियोजित ढंग से आयातों द्वारा की जा सके ।

5. मध्यवर्ती पदार्थों का उनकी प्रतिशत शुद्धता के अनुसार वर्गीकरण होना चाहिए तथा उस पर आई० एस० आई० का चिह्न लगाया जाना चाहिए ।

8. सरकार को इस संबंध में प्रोत्साहन देना चाहिए कि मध्यवर्ती पदार्थों के उत्पादन तथा उन की बचतों के अन्य पहलुओं पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना जैसी संस्थाएं प्रायोगिक अध्ययन करें जिसे जैक पदार्थ उद्योग के विकास के लिए विशेषत: छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए मार्गदर्शन तथा विशेषज्ञता मिल सके । उद्योग को

1	2	3

स्वयं भी ऐसे प्रायोगिक अध्ययन करने में लगी हुई संस्थाओं से निकट संपर्क बढ़ाना चाहिए । आयोग का यह भी विचार है कि आयातों को रोकने के लिए (i) रासिटो रासेट सनीलीड, (ii) रासिटो एसेट आर्थो कलोरो सनीलीड तथा टोबियास अम्ल की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करके इन चीजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाय तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

NOTIFICATIONS

TARIFES

New Delhi the 4th December 1972

No. 12 (2) -Taz /72- I—Whereas the Central Government is satisfied, after due inquiry, that the duties chargeable under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), in respect of (i) Metanilic acid and (ii) Quinizarine (1, 4-dihydroxy-anthraquinone) both falling under Item No. 28(40) of the said Schedule, and charactarised as protective in the third column thereof have become ineffective for the purpose of securing the protection intended to be afforded by them to similar articles manufactured in India :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby increases, with immediate effect, the duties of customs on the said articles so that the duties chargeable shall be as specified in column (3) of the Table annexed hereto.

THE TABLE

Item No. of Tariff	Name of Article	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
28 (40)	Metanilic acid, Quinizarine (1,4—dihydroxyanthraquinon).	
	(a) of British manufacture . .	90 per cent *ad valorem*.
	(b) not of British manufacture. . .	100 per cent *ad valorem*.

अधिसूचनाएं

टैरिफ

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1972

सं० 12(2)-टार/72-1.—यतः केन्द्रीय सरकार का , सम्यक् जांच के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन, उक्त अनुसूची की मद सं० 28(40) के अन्तर्गत आने वाले (1) मेटानिलिक एसिड और (2) क्विनिजरीन (1) 4 डाइहाइड्राक्सी एन्थ्राक्विनोन) दोनों के बारे में प्रभार्य और उसके तीसरे स्तम्भ में संरक्षी के रूप में वर्जित, शुल्क, उस संरक्षण को, जो भारत में उत्पादित वैसी ही वस्तुओं को प्रदान करना उन से आशयित है, सुनिश्चित करने के लिये अप्रभावी हो गये हैं ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त वस्तुओं पर सीमा-शुल्क एतद्द्वारा इस प्रकार तुरन्त बढ़ाती है कि प्रभार्य शुल्क एतद्साबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

सारणी

टैरिफ की मद सं०	वस्तु का नाम	शुल्क की दर
1	2	3
28(40)	मेटानिलिक एसिड	
	क्विनिजरीन (1: 4 डाइहाइड्राक्सी एन्थ्राक्विनोन)	
	(क) जो ब्रिटिश विनिर्मित हो	90 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) जो ब्रिटिश विनिर्मित न हो	शत प्रतिशत मूल्यानुसार

No. 12 (2) -Tar /72-H.—Whereas the Central Government is satisfied, after due inquiry that the duties chargeable under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) in respect of (i) J-Acid (2-naphthylamina-5hydroxy-7sulphonic acid), (ii) 4-chloro-2-Nitro Aniline, (iii) Para anisidine, (iv) Para toluidine and (v) Ortho anisidine falling under Item No. 28(38) of the said Schedule, and characterised as protective in the third column thereof have become excessive for the purpose of securing the protection intended to be afforded by them to similar articles manufactured in India ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby decreases, with immediate effect, the duties of customs on the said articles so that the duties chargeable shall be as specified in column (3) of the table annexed hereto.

THE TABLE

Item No. of Tariff	Name of Article	Rate of duty.
28(38)	J—Acid (2-naphthylamine-5hydrozy-7-7-sulphonic acid), 4—chloro-2-Nitro Aniline, Para anisidine, Para toluidine.	
	(a) of British manufacture	50 par cent *ad valorem.*
	(b) not of British manufacture	60 per cent *ad valorem.*
28(38)	Ortho anisidine.	
	(a) of British manufacture	50 per cent *ad valorem.*
	(b) not of British manufacture	60 per cent *ad valorem.*

सं० 12(2)–टार/72–2.—यत: केन्द्रीय सरकार का, सम्यक् जांच के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उक्त अनुसूची की मद सं० 28(38) के अन्तर्गत आने वाले (1) जे-एसिड (नैफ्थिलैमिन–5–हाइड्राक्सी–7–सल्फोनिक एसिड), (2) 4–क्लोरो–2–नाइट्रो एनिलाइन, (3) पैरा एनीसीडाइन, (4) पैरा टोल्यूइडीन तथा (5) आर्थो एनीसीडाइन के बारे में प्रभार्य, और उसके तीसरे स्तम्भ में सरक्षी के रूप में वर्णित, शुल्क, उस संरक्षण को, जो भारत में उत्पादित वैसी ही वस्तुओं को प्रदान करना उन से आशयित है, सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अत्यधिक हो गये हैं;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क एतद्द्वारा इस प्रकार तुरन्त कम करती है कि प्रभार्य शुल्क एतदुपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे ।

सारणी

टैरिफ की मद सं०	वस्तु का नाम	शुल्क की दर
1	2	3
28(38)	जे-एसिड (2-नैफ्थिलैमिन-5-हाइड्रोक्सी-7-सल्फोनिक एसिड), 4-क्लोरो-2-नाइट्रो एनिलाइन, पैरा एनीसीडाइन पैरा टोल्यूइडीन	
	(क) जो ब्रिटिश विनिर्मित हो	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) जो ब्रिटिश विनिर्मित न हो	60 प्रतिशत मूल्यानुसार
28(38)	आर्थो एनीसीडाइन	
	(क) जो ब्रिटिश विनिर्मित हो	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) जो ब्रिटिश विनिर्मित न हो	60 प्रतिशत मूल्यानुसार

No. 12/2)-Tar/72-III.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), the Central Government hereby directs that with immediate effect, there shall be levied on the articles specified in column (1) of the Table here to annexed, when imported into India, a duty of customs of such amount as is specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

THE TABLE

Name of Articles	Amount of duty of customs [in place of the duty specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934)]
(1)	(2)
The following dye-intermediates, namaly, Chicago acid, G-Salt. Gamma acid, H. Acid, J-Acid urea, Meta-toluylene diamine, Meta-phenylene diamine, Nevile Winther acid, Para Nitro aniline, Rhoduline acid, Sulphanilic acid, Sodium naphthionate/naphthionic acid, 2:5-dichloro nitro benzene, Dimethyl sulphate, Beta Naphthol, Aceto acetic ester (ethyl/methyl). Trichloro benezene, Benzidine sulphate/Benzidine dihydro chloride. Dimethylaniline.	
(a) of British manufacture	. 50 per cent *ad valorem*
(b) not of British manufacture	. 60 per cent *ad valorem*

S. K. BAGCHI, Joint Secy.

सं० 12(2)-टार/72-3.—भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि एतदुपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर, जब भारत में उनका आयात किया जाए, तुरन्त उतना सीमा शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा जितना सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ।

सारणी

वस्तुओं का नाम	सीमा शुल्क की रकम, जिसके अन्तर्गत भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क भी है
(1)	(2)
निम्नलिखित रंजक-मध्यवर्ती पदार्थ, अर्थात्,	
चिकागो एसिड,	
जी-साल्ट,	
गामा एसिड,	
एच एसिड,	
जे-एसिड यूरिया,	
मेटा-टोल्युलीन डायामिन,	
मेटा-फैनिलीन डायामीन,	
नेफाइल-विन्थर एसिड,	
पैरा नाइट्रो एनिलानइ,	
रेहोडूलाइन एसिड,	
सल्फानिलिक एसिड,	
सोडियम नेफथाइओनेट/नैफथाइओनिक एसिड,	
2: 5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन,	
डाईमैथिल सल्फेट,	
बीटा नैफथोल,	
एसिटा एसिटिक इथ्दर (इथाइल/मिथाइल),	
ट्राइक्लोरो बैनजीन,	
बैनजीडाइन सल्फेट/बैनजीडाईन डीहाइड्रोक्लोराइड,	
डाइमीथाइलएनिलाइन—	
(क) जो ब्रिटिश विनिर्मित हो	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख) जो ब्रिटिश विनिर्मित न हों	60 प्रतिशत मूल्यानुसार

एन० के० बागची, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972